

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 158 / 2013

संस्थित दिनांक-13 / 5 / 14

भाना उर्फ भानसिंह उर्फ भगवान सिंह,
पिता गब्बर सिंह निवासी ग्राम मनोहर का पुरा,
थाना एण्डोरी परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

.....अपीलार्थी / आरोपी

वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र एण्डोर, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----प्रत्यर्थी / अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
अपीलार्थी / आरोपी द्वारा श्री कृष्णकांत शुक्ला अधिवक्ता

न्यायालय-श्री केशव सिंह, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण
क्रमांक-417 / 05 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 4 / 3 / 13 से उत्पन्न
दांडिक अपील

-::- नि र्ण य -::-

(आज दिनांक 19 जुलाई, 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी / आरोपी की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री केशव सिंह द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 417 / 05 निर्णय दिनांक-04 / 03 / 2013 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा-379 / 511 भा0दं0सं0 के अपराध में छः माह के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आरोपी / अपीलार्थी ग्राम मनोहर का पुरा जो थाना एण्डोरी के अंतर्गत आता है, वहां का निवासी है और मजदूर पेशा व्यक्ति है ।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक-धर्मेन्द्र सिंह ने पुलिस थाना एण्डोरी में एक लेखीय आवेदनपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह जल उपभोक्ता तथा तथा जस्तपुरा का अध्यक्ष है, उसके घर पर रात करीब 2 बजे अजय सिंह व रामप्रकाश ग्राम चंदोखर के आये व बताया कि बी.एम.जी. पर मानसिंह वाली कूट नहर पर एक ट्रैक्टर मय ट्रॉली के खड़ी है, जो शायद अज्ञात चोर चोरी करके ले जा रहे थे, ट्रैक्टर फंस जाने से ले नहीं जा सके उसने उन लोगों के साथ मौके पर जाकर देखा तो एक ट्रैक्टर यू.पी.-92 ए-5359 खड़ा था, जिसके साथ ट्रॉली लगी हुई थी, जिसमें पाइप के टुकड़े भरे थे जो कुलावे को

तोड़कर किए थे। उसने व ग्रामीणों ने आसपास देखा पर कोई दिखा नहीं। ऐसा लगता है कि अज्ञात चोर पाईपों के टुकड़े ट्रॉली में भरकर ले जा रहे थे, जो ट्रैक्टर में खराबी आ जाने से छोड़कर चले गये है ।

4— फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस द्वारा जांच कर जांच उपरांत अप.क्र.—53/05 पर मूल अपराध पंजीबद्ध किया गया । विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

5. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा—379 भा0दं0सं0 के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया । विचारणोपरांत अपीलार्थी/आरोपी को धारा—379 भा0दं0सं0 के अपराध में छः माह के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था, जिससे व्यथित होकर यह दांडिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।

6. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरचित आरोप एवं किसी साक्षी की साक्ष्य में भी ऐसा नहीं आया कि आरोपी/अपीलार्थी पाइपों को चोरी करके परिवहन कर रहा था । अभियोजन साक्षीगण अजबसिंह, रामप्रकाश सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, हरीसिंह, प्रेमसागर शर्मा, कैलाश नारायण, चन्द्रपाल सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने आरोपी/अपीलार्थी को चोरी करते नहीं देखा था और ना ही पाइपों को ले जाते देखा था । इसके बावजूद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से साक्षियों पर विश्वास नहीं करते हुए मनमाने तरीके से आलोच्य निर्णय पारित किया, जो निरस्ती योग्य है ।

7. यह भी आधार लिया है कि विवेचना अधिकारी ने सही रूप से विवेचना नहीं की है फरियादी ने पुलिस से मिलकर आरोपी/अपीलार्थी को झूठा फंसा दिया है । पुलिस ने स्वतंत्र साक्षियों से अनुसंधान के समय पूछताछ नहीं की, प्रथम सूचना रिपोर्ट बिलंबित है । साक्षीगण के कथनों में महत्वपूर्ण विसंगतियां आयी हैं जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है । उक्त विसंगतियां विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के सामने आयी हैं जिनको नजर अंदाज कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय व दण्डाज्ञा पारित करने में कानूनी भूल की है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से निर्णय विधि अनुकूल पारित नहीं किया है, जो निरस्ती योग्य है विधि, कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को दोषमुक्त किया जावे एवं उनका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे ।

08. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :—

- 1— “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”
- 2— क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—::— **निष्कर्ष के आधार** —::—

09. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया । आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया । अभिलेख का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख एवं आलोच्य निर्णय के अध्ययन करने पर अभियोजन का मामला मूलतः जल संसाधन विभाग के कुलावे के पाइपों की चोरी संबंधी है, कि उनके पाइपों के टुकड़े टैक्टर क्रमांक— यू.पी.—92 ए/5359 से चोरी करके ले जाये गये, जिसके आधार पर प्रदर्श पी.—2 की लेखीय रिपोर्ट की । जांच पर से प्रदर्श पी.—5 की कायमी धारा—379 भा0दं0सं0 के अंतर्गत हुई और उक्त धारा के अंतर्गत ही आरोप विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरचित किया गया तथा विचारण किया जाकर आलोच्य निर्णय चोरी के अपराध को पूर्ण ना मानते हुए चोरी के प्रयास का अपराध माना और उसके लिए आरोपी/अपीलार्थी को धारा—379 सहपठित धारा—511 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध करते हुए दण्डाज्ञा अधिरोपित की है ।

10. प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई भी काउण्टर दाण्डिक अपील पेश नहीं हुई है, इसलिये केवल हस्तगत प्रकरण में दोषसिद्ध अपराध के संदर्भ में ही विवेचना की जाना है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य तथ्य, परिस्थितियों के आधार पर दोषसिद्ध न्यायिक रूप विधि सम्बत् और तथ्य परख है अथवा नहीं । या मामला संदिग्ध था । क्योंकि अपीलार्थी/आरोपी की ओर से यह तर्क किया गया है कि प्रकरण की एफ.आई.आर. करीब 50 दिन विलंबित है और विवेचना भी इतनी अवधि बाद हुई, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जिससे मामला संदिग्ध है तथा जिस लेखीय आवेदनपत्र पर से मामला बनाया गया, वह सिद्ध नहीं हुआ और किसी भी साक्षी ने आरोपी को चोरी करते या चोरी का माल परिवहन करते हुए नहीं देखा । इस आधार पर आलोच्य निर्णय को चुनौती दी गयी है, जबकि अभियोजन पक्ष का तर्क है कि चोरी का मामला प्रमाणित है ।

11. अभिलेख पर जो साक्ष्य आयी, उसमें प्रदर्श पी.—3 की लेखीय शिकायत जो कि म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल उपसंभाग गोहद के सहायक यंत्री द्वारा विद्युत तारों की चोरी के संबंध में की गयी थी । कथानक मुताबिक विद्युत तारों की चोरी के संबंध में ना तो अपराध पंजीबद्ध हुआ, ना ही उस संगंध में कोई अनुसंधान हुआ । इसलिये प्रदर्श पी.—3 के संबंध में कैलाश नारायण अ.सा.—6 और बलवीर सिंह अ.सा.—7 जो विद्युत मण्डल के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके अभिसाक्ष्य के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि उनका हस्तगत प्रकरण की घटना जिसमें सिंचाई के पाइपों की चोरी बतायी गयी, उससे प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई संबंध या सरोकार नहीं था

और विद्युत तारों की चोरी का मामला ना होना विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने आलोच्य निर्णय में उल्लेखित किया है । इसलिये उक्त दोनों साक्षियों की साक्ष्य मूल्यांकन में लिये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

12. कथानक मुताबिक घटना मध्य रात्रि के समय की है । प्रदर्श पी.-2 की लेखीय रिपोर्ट मुताबिक रात करीब 2 बजे की बतायी गयी है जो दिनांक-19/5/05 की होकर ग्राम चंदोखर हार मानसिंह वाली कूट नहर की पट्टी की बतायी गयी है । जिसमें रात्रि के समय अजब सिंह और रामप्रकाश के द्वारा जल उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह को पाइपों की चोरी के संबंध में सूचना दिये जाने पर उसके द्वारा मौके पर जाकर देखे जाने और ट्रैक्टर ट्रॉली में जल संसाधन विभाग के पाइप के टुकड़े भरे होना मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली में पाये गये, जो कि कूट में फंस गया था, जिससे चोर उसे नहीं ले जा पाये । ऐसे में अजब सिंह, रामप्रकाश, धर्मेन्द्र सिंह तथा अनुसंधान के दौरान यह प्रकट हुआ कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली जप्त हुआ, वह ट्रैक्टर चंद्रपाल सिंह का था । ऐसे में वह प्रकरण के लिए महत्वपूर्ण साक्षी हो जाता है ।

13. आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एफ.आई.आर. और विवेचना के बिलंब की ली गयी आपत्ति विधि सम्बन्ध नहीं मानी जा सकती । क्योंकि घटना दिनांक को 19/5/2005 की रात्रि की है और उसी दिन ट्रैक्टर ट्रॉली मय पाइपों के जप्त की गयी । एफ.आई.आर. अवश्य दिनांक-08/7/05 की है, किन्तु प्रदर्श पी.-5 की एफ.आई.आर. में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जांच उपरांत कायमी की गयी और प्रदर्श पी.-2 की लेखीय रिपोर्ट पर से जांच हुई है । ऐसे में एफ.आई.आर. बिलंबित नहीं मानी जा सकती है और जांच होना स्वमेव स्पष्टीकरण है तथा अभिलेख पर यह प्रकट हुआ है कि जांच करने वाले प्रधान आरक्षक मायाराम शर्मा का देहान्त हो जाने से उसकी साक्ष्य नहीं हुई है । जैसाकि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर भी दिनांक-10/10/12 को रिपोर्ट आई। अन्यथा उसे स्पष्टीकरण लिया भी जा सकता था कि उसे जांच में इतना वक्त क्यों लगा, लेकिन इसका आरोपी/अपीलार्थी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिये आपत्ति बेबुनियाद मानी जाती है ।

14. यह सही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें सिंचाई के पाइप के टुकड़े रखे मिले, उसे प्रदर्श पी.-1 के जप्ती पत्रक मुताबिक ग्राम चंदोखर के पास नहर की पट्टी से जप्त किया गया । जैसा कि अजब सिंह अ.सा.-1, रामप्रकाश अ.सा.-2 ने भी अपनी अभिसाक्ष्य में बताया है । जो प्रदर्श पी.-1 के पंच साक्षी हैं तथा सिंचाई विभाग के हरीसिंह शाक्य अ.सा.-4, प्रेमसागर शर्मा अ.सा.-5 ने भी अपनी अभिसाक्ष्य में ट्रॉली में सिंचाई विभाग के पाइप के टुकड़े पुलिस द्वारा जप्त किया जाना बताया है, जिनकी कीमत उन्होंने 35, 000 से 45, 000 रुपये के मध्य बताया है । जिस स्थान से ट्रैक्टर ट्रॉली और पाइपों के टुकड़ों की जप्त हुई, वह खुला स्थान होकर जन सामान्य की पहुंच के अंतर्गत होना तो प्रमाणित है कि वहां कोई भी आ-जा सकता है । किन्तु आरोपी की ओर से ऐसा आधार नहीं लिया गया है कि किसी दूसरे के स्थान के अभियोजित करा दिया गया है ।

15. ऐसे में जब्ती खुले स्थान से होने के आधार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन कथानक पर नहीं माना जा सकता है । अ.सा.-2 के अभिसाक्ष्य में यह तथ्य भी आया है कि ट्रैक्टर में तोड़ फोड़ हुई थी । जैसा कि धर्मेन्द्र सिंह अ.सा.-3 भी कहता है, जिसके द्वारा प्रदर्श पी.-2 की लेखीय रिपोर्ट दी गयी और उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि ट्रैक्टर में टूट फूट थी । ऐसे में साक्षियों का यह कहना कि जिस व्यक्ति द्वारा पाइपों को चोरी से ले जाया गया, वह ट्रैक्टर के खराब हो जाने से और फंस जाने से मौके पर छोड़ा विश्वसनीय है । हालांकि उक्त साक्षियों ने किसीको पाइप ले जाते या देखते नहीं देखा है । लेकिन चोरी के मामले में घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी हो, ऐसा आवश्यक नहीं है और तथ्य, परिस्थितियों के आधार पर ही देखना होता है कि चोरी की घटना प्रमाणित है या नहीं ।

16. प्रकरण में परीक्षित साक्ष्य चन्द्रपाल सिंह जो कि करीब 82 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति था और अ.सा.-9 के रूप में परीक्षित हुआ, उसने अपनी अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से बताया कि उसने 04-05 साल पहले ट्रैक्टर खरीदा था, जिसे पहले उसका लडका चलाता था, बाद में आरोपी भाना चलाने लगा, जो रोज उसका ट्रैक्टर ले जाता और रख जाता था । उसका यह भी कहना रहा कि आरोपी उससे कुछ भी कहकर ट्रैक्टर नहीं ले गया था । स्वतः ले जाता था और उसका ट्रैक्टर चोरी में नहीं पकड़ा गया । आरोपी ने ट्रैक्टर से कोई चोरी की या नहीं, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसने ऐसा सुना था कि वह ट्रैक्टर ले गया था लेकिन उसने कुछ गड़बड़ की थी और बाद में ट्रैक्टर थाने पर मिला था, जो उसने सुपुर्दगी पर लिया है । पुलिस ने उसके ट्रैक्टर से कोई सामान जब्त नहीं किया ।

17. इस साक्षी के अभिसाक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को प्रदर्श पी.-1 द्वारा जब्त किए गये ट्रैक्टर मा मालिक चन्द्रपाल सिंह अ.सा.-9 था, क्योंकि उसे ट्रैक्टर सुपुर्दगी पर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख मुताबिक दिनांक-23/8/2005 को प्राप्त हुआ है । उसी दिन आरोपी की गिरफ्तारी की गयी । ट्रैक्टर थाने से मिलना भी वह कहता है, जो प्रदर्श पी.-1 के मुताबिक नहर की पट्टी से जप्त हुआ और प्रदर्श पी.-1 की जप्ती का पूर्ण समर्थन अ.सा.-1 और अ.सा.-2 ने किया है । चूंकि जब्तीकर्ता विवेचक का देहान्त हो चुका है, इसलिये उसका कथन नहीं हुआ । ऐसे में प्रदर्श पी.-1 को अ.सा.-1 और 2 की साक्ष्य से प्रमाणित माना जायेगा तथा प्रदर्श पी.-2 की लेखीय रिपोर्ट धर्मेन्द्र सिंह अ.सा.-3 ने प्रमाणित की है, जिसमें भी मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली और टूटे पाइपों के टुकड़ों को तथा ट्रैक्टर को क्षतिग्रस्त देखा था ।

18. चन्द्रपाल सिंह का यह कहना कि उसके ट्रैक्टर से कोई पाइप जब्त नहीं हुआ, बिल्कुल सही है । क्योंकि पाइप के टुकड़ों की जब्ती ट्रैक्टर से ना होकर ट्रॉली से हुई है । जैसा कि प्रदर्श पी.-1 में अंकित है और ट्रॉली उसके स्वामित्व की नहीं मानी गयी । इसलिये उसे सुपुर्दगी पर भी प्राप्त नहीं हुई है । बल्कि ट्रॉली न्यायिक अभिरक्षा में है । क्योंकि अभियोगपत्र में भी इसका जिक्र है कि ट्रॉली थाने पर सुरक्षित रखी हुई है, जो ट्रैक्टर में संलग्न थी ।

19. ऐसे में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि चन्द्रपाल सिंह के ट्रैक्टर के साथ लगी ट्रॉली में ही सिंचाई विभाग के पाइप चोरी करके रखे गये थे, उसे गंतव्य तक न ले पाना अपराध से निर्मुक्ति के लिए कारक नहीं हो सकता है । क्योंकि धारा-379 भा0दं0सं0 के अपराध के प्रमाण के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि चोरी करने वाला व्यक्ति संपत्ति को जहां तक ले जाना चाहता है, वहां तक पहुंच जाये, तभी चोरी पूर्ण होगी । बल्कि चोरी के संबंध में भा0दं0सं0 की धारा-379 का स्पष्ट प्रावधान है जिसके मुताबिक –

जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 1—जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जंगम संपत्ति ना होने से वह चोरी का विषय नहीं होती ; किन्तु ज्यों ही वह भूमि से पृथक् की जाती है, वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है ।

स्पष्टीकरण 2— हटाना, जो उसी कार्य द्वारा किया गया है, जिससे पृथक्करण किया गया है, चोरी हो सकेगा ।

स्पष्टीकरण 3— कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है, यह कहा जाता है, जब वह उस बाधा को हटाता है, जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हों या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक् करता है तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है ।

स्पष्टीकरण 4— वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीवजन्तु का हटाना कारित करता है, वह उस जीवजन्तु को हटाता है, यह कहा जाता है; और यह कहा जाता है कि वह ऐसी हर एक जीव को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गयी गति के परिणाम स्वरूप उस जीवजन्तु द्वारा हटाई जाती है ।

स्पष्टीकरण 5— परिभाषा में वर्णित सम्मति, अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, दी जा सकती है ।

20. इस तरह से वर्तमान मामले में सिंचाई के पाइप जल संसाधन विभाग के थे, क्योंकि उसके संबंध में प्रेम सागर और हरीसिंह की स्पष्ट साक्ष्य आयी है तथा अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख पर न्यायिक नोटिस लिये जाने की दशा में जब्त पाइप सिंचाई विभाग के एस.डी.ओ. सुभाष जैन को न्यायालय से सुपुर्दगी पर प्राप्त हुआ है । ऐसे में ट्रैक्टर की या पाइपों की या आरोपी शिनाख्ती का बिन्दु प्रकरण में उत्पन्न नहीं होता है । इसलिये अपीलार्थी/आरोपी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **प्रेमसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2007 भाग-2 एम.पी.जे.आर. शॉर्ट नोट-39** में चुराई गयी संपत्ति की शिनाख्ती का बिन्दु उत्पन्न था । वह उक्त प्रकरण की परिस्थितियों में लागू नहीं होता है । अन्य कोई न्याय दृष्टांत अपीलार्थी/आरोपी द्वारा पेश नहीं किए गये हैं । डिफेन्स [प्रतिरक्षा]

क्रिमिनल डाइजेस्ट 2007-09 की फोटोकॉपी पेश की गयी है, जिसमें न्याय दृष्टांत का उल्लेख है, किन्तु न्याय दृष्टांत उपलब्ध ना होने से उनके संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है ।

21. धारा-378 भा0दं0सं0 के स्पष्टीकरण {तीन} मुताबिक जैसे ही चुराई हुई संपत्ति को स्थान से अलग किया जाता है, वैसे ही चोरी का अपराधपूर्ण हो जाता है । क्योंकि संपत्ति के स्वामी की यदि हटाने की कोई सम्मति नहीं है, तो बेईमानीपूर्ण आशय होने की उपधारणा की जावेगी और इस मामले में ऐसा कोई आधार नहीं है कि सिंचाई विभाग की अनुमति से पाइप हटाये जा रहे हों ।

22. प्रकरण में मूलतः यह प्रश्न भी है कि आरोपी को चोरी करते या पाइप ले जाते किसीने नहीं देखा है । लेकिन जिस ट्रैक्टर ट्रॉली से पाइपों की बरामदगी हुई है, वह घटना दिनांक को आरोपी/अपीलार्थी के आधिपत्य में होना चन्द्रपाल सिंह अ.सा.-9 की अभिसाक्ष्य से स्थापित होता है, जिसकी अखण्डनीय अभिसाक्ष्य आयी है । क्योंकि आरोपी/अपीलार्थी की ओर से ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि वह चन्द्रपाल सिंह के जप्त हुए ट्रैक्टर का घटना दिनांक को चालक नहीं था तथा चन्द्रपाल सिंह का यह कहना कि ट्रैक्टर ले जाने और उससे गडबड़ी करने की बात उसने सुनी थी । यह भी उक्त परिस्थितियों में अभियोजन को बल प्रदान करता है ।

23. ऐसे में आरोपी/अपीलार्थी के आधिपत्य या संज्ञान से पाइप के टुकड़ों की बरामदगी ना होना अभियोजन के लिए घातक नहीं माना जा सकता है । ऐसे में प्रदर्श पी.-5 की एफ.आई.आर. जिसे कि प्रधान आरक्षक तर्जन सिंह अ.सा.-10 ने अपने अभिसाक्ष्य से प्रमाणित किया है, उससे वास्तविकता में चोरी का अपराध पूर्ण हो जाना और आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा कारित किया जाना प्रमाणित होता है तथा शेष विवेचना को ए.एस. आई. अशोक शर्मा अ.सा.-8 ने अपने अभिसाक्ष्य से प्रमाणित किया है । इसलिये अपीलार्थी/आरोपी का यह तर्क कि चन्द्रपाल सिंह ने ट्रैक्टर सुपुर्दगी पर लेने के बाद उसके विरुद्ध चालक होने का कथन किसी दुर्भावना के कारण किया, यह सही नहीं माना जा सकता है क्योंकि चन्द्रपाल सिंह की आरोपी/अपीलार्थी से क्या दुर्भावना रही, इस पर वह मौन है । इसलिये चन्द्रपाल सिंह से आरोपी का कोई रंजिश या द्वेष भाव रखना और उसके चलते साक्ष्य दी जाना नहीं माना जा सकता है ।

24. ऐसी स्थिति में अभिलेख पर अभियोजन की जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है और जो तथ्य, परिस्थितियां हैं, उससे अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध उक्त घटना दिनांक को चन्द्रपाल सिंह के ट्रैक्टर क्रमांक-यू.पी.-92/ए-5359 से ट्रॉली के माध्यम से ग्राम चंदोखर हार में मानसिंह वाली कूट नहर की पट्टी से जल संसाधन विभाग के स्वामित्व के पाइप उनकी सम्मति के वगैर बेईमानीपूर्ण आशय से संदोष अभिलाभ में प्राप्त करने के आशय से ले जाना प्रमाणित होता है । किन्तु हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की कोई प्रति अपील नहीं है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चोरी के प्रयत्न के अपराध में दण्डित किया गया है । ऐसे में दण्डाज्ञा में अभिवृद्धि

नहीं की जा सकती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रावधानों पर ध्यान देते हुए प्रयास का मामला माना है, जबकि यदि वे सावधानीपूर्वक संबंधित प्रावधान का अध्ययन कर निर्णय करते तो ऐसी त्रुटि नहीं होती, जिसका भविष्य में ध्यान रखा जावे ।

25. किसी भी अपराध के प्रावधान में मूल अपराध से आधी सजा का प्रावधान है । ऐसी स्थिति में चोरी के अपराध में आरोपी/अपीलार्थी को प्रथम अपराधी होने तथा उसकी उम्र को देखते हुए और मामला वर्ष 2005 का होने से करीब 09 साल अभियोजन का सामना करने को दृष्टिगत रखते हुए धारा-379 भा0दं0सं0 के अपराध के लिए उक्त परिस्थितियों में आरोपी/अपीलार्थी जो कि विचारण के दौरान दिनांक-24/8/2005 से 30/9/2005 तक न्यायिक निरोध में रह चुका है, इतनी अवधि के कारावास से और पाइपों के टुकड़ों की कीमत को देखते हुए अर्थदण्ड में अभिवृद्धि करते हुए दण्डित किया जाना उचित व न्याय संगत होगा ।

26. फलतः प्रस्तुत दांडिक अपील आंशिक रूप से स्वीका की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 06 माह के सश्रम कारावास की दी गयी दण्डाज्ञा को अपास्त करते हुए आरोपी/अपीलार्थी द्वारा उक्त न्यायिक निरोध की बिताई जा चुकी न्यायिक अवधि एवं **5000 रुपये (पांच हजार रुपये)** अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमा अर्थदण्ड 500/- रुपये समायोजित किया जावे । अर्थदण्ड की राशि जमा ना करने पर व्यतिक्रम के लिए आरोपी/अपीलार्थी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे ।

27. अपीलार्थी/आरोपी के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रखते हुए तत्पश्चात भारमुक्त किये गये ।

28. प्रकरण में जप्तशुदा पाइप के टुकड़े एवं ट्रैक्टर पूर्व से पंजीकृत स्वामी के सुपुर्दगी पर होने से अपील/निगरानी अवधि पश्चात सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे। एवं अन्य जप्तशुदा ट्रॉली पर किसी भी पक्ष ने अपना अपनी दावेदारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की अतः उसे विधिवत नीलामी द्वारा विक्रय कर उसकी राशि कोषालय में जमा करायी जावे। अपील/निगरानी होने की दशा में अपीलार्थी/निगरानी न्यायालय के निर्णय अनुसार निराकरण हो ।

संलग्न मूल रिकॉर्ड निर्णय की प्रति के साथ भेजा जावे।

दिनांक: 19 जुलाई 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही /—
(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

सही /—
(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड